-1-

107

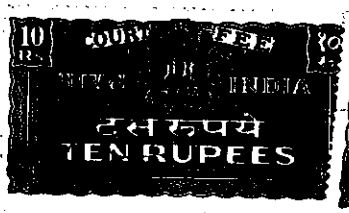

10 COURT FEE INDIA दस रुपये TEN RUPEES

5 COURT FEE INDIA पाँच रुपये FIVE RUPEES

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्य प्रदेश, ग्वालियर

प्र०क्र० /2006 पुनरीक्षण

R 93-I/06

1- सीताराम) पुत्रगण ग्यारीसिंह
2- रामनाथ) दोनों निवासी ग्राम मढाबन
तहसील मुंगावली जिला अशोकनगर

17 JAN 2006

आवेदकगण

विरुद्ध

1- बाबूसिंह) पुत्रगण दुबसिंह
2- हिम्मतसिंह) समस्त निवासी ग्राम
3- निहालसिंह) मढाबन तहसील मुंगावली
4- किशोरसिंह) जिला अशोकनगर

4-1 शीलाबाई पत्नी किशोरसिंह
4-2 ... पुत्रगण
4-3 ...

अनावेदकगण

अपर आयुक्त ग्वालियर संभाग द्वारा प्रकरण क्रमांक 169/2000-2001 अपील में पारित आदेश दिनांक 12-12-2005 के विरुद्ध पुनरीक्षण अन्तर्गत धारा-50 म०प्र० भू राजस्व संहिता 1959.

महोदय,

आवेदकगण निम्नलिखित आधारों पर पुनरीक्षण आवेदन प्रस्तुत करते हैं :-

(1) यह कि अधीनस्थ न्यायालयों के विवादित आदेश अवैध तथा प्रकरण के अभिलेख के विपरीत होकर निरस्त किये जाने योग्य हैं।

(2) यह कि विवादित भूमि के अभिलिखित भूमिस्वामी आवेदकों के पितामह दुबसिंह थे। आवेदकों के पिता की मृत्यु पूर्व में ही हो चुकी थी। दुबसिंह आवेदकों के साथ ही रहते थे। उन्होंने आवेदकों के हित में स्वेच्छा से अपनी भूमि का वसीयतनामा सम्पादित किया था

2

XXXIX(a)BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

प्रकरण कमांक – निग0 93–एक/06 जिला – अशोकनगर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेष	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
15-11-16	प्रकरण का अवलोकन किया । यह निगरानी अपर आयुक्त, ग्वालियर संभाग, ग्वालियर के प्रकरण कमांक 169/2000–2001/अपील में पारित आदेश दिनांक 12–12–05 के विरूद्ध म0प्र0 भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे आगे संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के तहत पेश की गई है । 2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि विचारण न्यायालय द्वारा अपने प्रकरण कमांक 52/अ–6/98–99 में पारित आदेश दिनांक 29–7–2000 द्वारा आवेदक का प्रश्नाधीन भूमि पर वसीयत के आधार पर नामांतरण हेतु प्रस्तुत आवेदन निरस्त करते हुए वारिसान के आधार नामांतरण करने के आदेश दिए । इस आदेश के विरूद्ध यह आवेदकों द्वारा प्रथम अपील अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष की गई जो उन्होंने आदेश दिनांक 5–1–2001 द्वारा निरस्त की । द्वितीय अपील अपर आयुक्त ने आलोच्य आदेश द्वारा निरस्त की है । अपर आयुक्त के आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में पेश की गई है । 3/ आवेदक की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा मुख्य रूप से यह तर्क दिए गए हैं कि उन्होंने वसीयत को विचारण न्यायालय में साक्ष्य से प्रमाणित किया है । तहसील न्यायालय ने साक्ष्य की सही विवेचना न करते हुए आदेश पारित किया है, जिसकी पुष्टि करने में अपीलीय न्यायालयों ने त्रुटि की है ।	

R 93-I/06 (नामांतरण)

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
	यह तर्क भी दिया गया कि अनावेदकगण अपने पिता से अपना हिस्सा लेकर पृथक हो गये थे । आवेदकों के पितामह ने अपनी 125 बीघा भूमि में से अपने पुत्रों को भूमि देकर मात्र 18 बीघा भूमि अपने पास रखी थी । आवेदकों द्वारा की गई सेवा से प्रसन्न होकर आवेदकों के पितामह ने प्रेमवश वसीयतनामा आवेदकों के पक्ष में निष्पादित किया था । अधीनस्थ न्यायालयों ने साक्ष्य को पूर्णतः अनदेखा कर विवादित आदेश पारित किए हैं, जो स्थिर रखे जाने योग्य नहीं हैं ।	
	4/ अनावेदक क्रमांक 1 लगायत 3 की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा तर्क दिया गया कि तथ्यों के संबंध में तीनों अधीनस्थ न्यायालयों के समवर्ती निष्कर्ष हैं । विचारण न्यायालय ने सम्पूर्ण साक्ष्य की विवेचना उपरांत वसीयत को संदिग्ध माना गया है । आवेदकों द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य में विरोधाभाष है । वारिसों को उनके हक से वंचित करना न्यायोचित नहीं है । अतः इस प्रकरण में तहसील न्यायालय ने वारिसाना आधार पर नामांतरण के आदेश देने में कोई त्रुटि नहीं की है और ना ही उनके आदेश को स्थिर रखने में अपीलीय न्यायालयों ने कोई अवैधानिकता की है ।	
	5/ उभयपक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं के तर्कों पर विचार किया एवं अभिलेख का अवलोकन किया । यह प्रकरण नामांतरण का है । प्रकरण में तीनों अधीनस्थ न्यायालयों ने यह पाया है कि जो साक्ष्य आवेदकों द्वारा पेश की गई है उसमें विरोधाभाष है । आवेदकगण अपने हक में सम्पादित वसीयत को संदेह से परे साबित नहीं कर सके हैं । अधीनस्थ न्यायालय का यह निष्कर्ष उचित है कि अनावेदकगण मृतक भूमिस्वामी के वैध उत्तराधिकारी हैं और उन्हें उनके हक से	

XXXIX(a)BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

प्रकरण कमांक – निग0 93–एक/06 जिला – अशोकनगर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेष	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
	वंचित नहीं किया जा सकता है । इस संबंध में उन्होंने जिन न्यायष्टांतों का उल्लेख अपने आदेश में किया है उनको देखते हुए अधीनस्थ न्यायालय के आदेश में हस्तक्षेप का कोई आधार नहीं है । परिणामतः यह निगरानी आधारहीन होने से निरस्त की जाती है । उभयपक्ष सूचित हों एवं अधीनस्थ न्यायालयों के अभिलेख वापिस हों । सदस्य	